उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 36/1992/55/2009

राज्य बनाम् मुरली प्रसाद गुप्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
15-02-2017	आदेश :–	

आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग के ज्ञापांक 629/अप0शा0 दिनांक 27.02.1992 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(A) के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए, धारा 6(B)के अन्तर्गत अभियुक्त से जप्त ट्रक HR-29-0419 तथा उस पर लदा कोयला 15 टन को क्यों नहीं राज्यसात किया जाय के संबंध में कारण पृच्छा की मांग की गई।

दिनांक 17.07.1998 को तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा आदेश पारित करते हुए जप्त कोयला को ट्रक सहित अन्तिम रूप से अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में नये सिरे से किसी तरह का आदेश पारित करना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि पारित आदेश के आलोक में ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

15/2/17

उपायुक्त,
रामगढ़।

15/2/17

उपायुक्त,
रामगढ़

125/ [illegible]
20/02/17